मौलिक अधिकार

मौलिकार्धा

Fundamental Rights

सबसे पहले ये अधिकार
ब्रिटेन के नागरिकों को दिये।

⇒ अमेरिका विश्व का पहला संविधान बना जिसने
अपने संविधान में मौलिक अधिकारों (Bill of Rights) को रखा।

⇒ मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या ⇒ 7
No. of Fundmental Rights in original constitution

↳ वर्तमान (at Present) ⇒ 6

अनुच्छेद-12 → राज्य (state) → शब्द को परिभाषित किया गया है।

The term is defined.

अनुच्छेद-12 के अनुसार 'राज्य' शब्द में निम्नलिखित शामिल हैं- According to Article 12 the term 'State' includes the following-

((i) भारत की सरकार एवं संसद Government of India and Parliament ~~of India~~

(ii) राज्यों की सरकारें एवं विधानमण्डल State governments and legislatures

(iii) सभी स्थानीय प्राधिकारी, एवं All local authorities, and ex. पंचायत, नगरपालिका

(iv) अन्य प्राधिकारी । Other Authorities

Oil and natural Gas corporation. ← ONGC → CBSE Board, U.P. board, C.C.S university

राज्य का अर्थ उन सभी संस्थाओं, निकायों
या व्यक्तियों से जिन्हें कानून बनाने या लागू, आदेश (order) जारी करने या अध्यादेश (ordinance) जारी करने
करने का अधिकार होता है।

अनुच्छेद- 13

इसके तहत् न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है Under this, the court can declare any law void which is inconsistent with the fundamental rights. This power of the court is called the power of judicial review.

"न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अन्तर्गत वह विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जाँच करते हैं।""The power of judicial review is the power of the courts to examine the constitutionality of acts passed by the legislature.

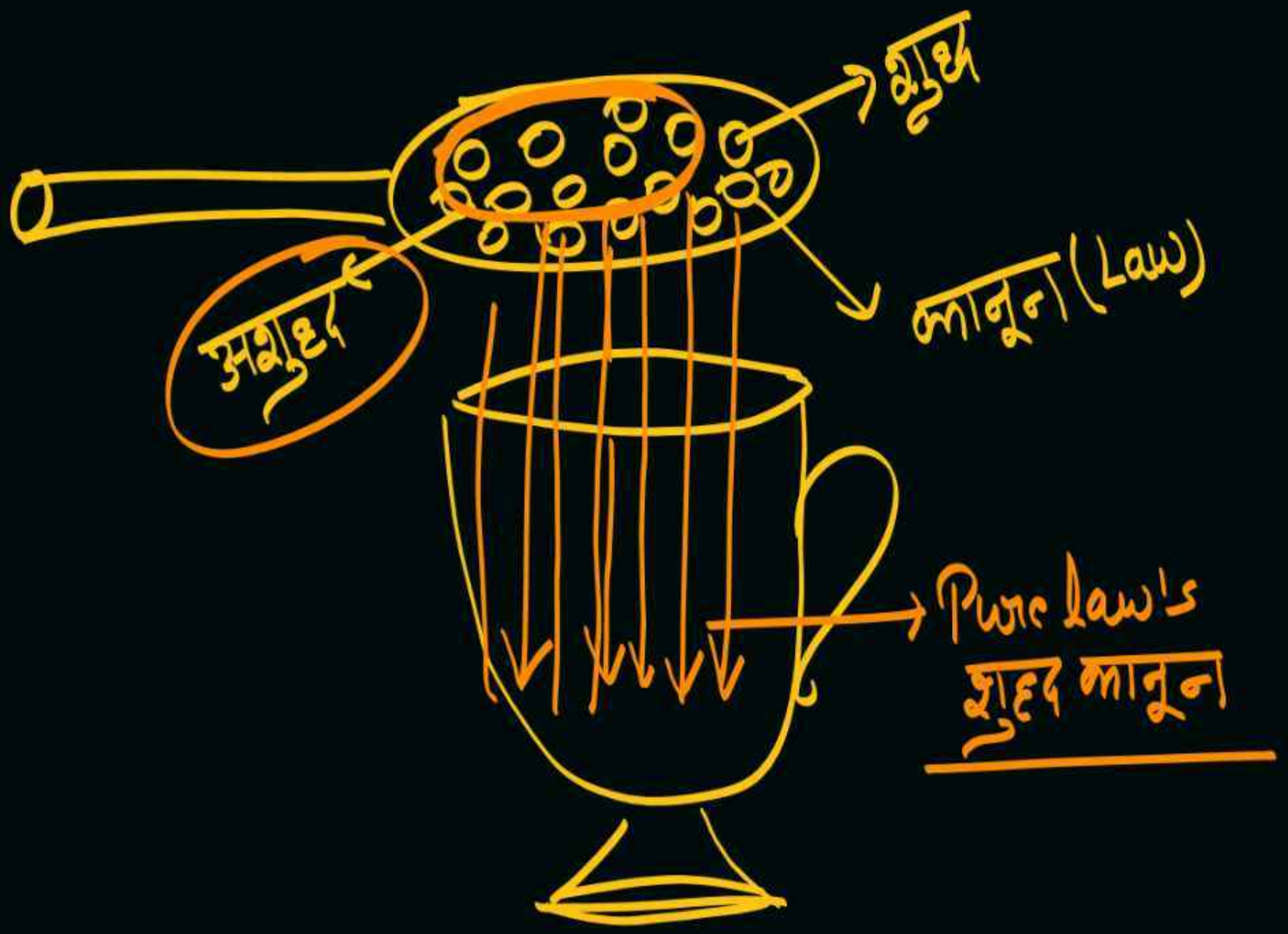
या संसद

Art. 13 ⇒ मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच (Saye Guard)

↳ कोई भी कानून जो संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद का हो, अगर वह कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो ऐसे कानून की न्यायपालिका (judiciary) (Supreme / High Court उच्चतम या उच्च न्यायालय) जांच करती है और उसे शून्य घोषित करती है उसकी यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन (judicial Review) कहलाती है

↳ संसद / विधानमंडल
Parliament / Legislature

↓
अमेरिका के संविधान से लिया गया है (Taken from USA)


शुद्ध
कानून (Law)
समूह
Pure laws
शुद्ध कानून

भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था; किन्तु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा सम्पति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। The original Constitution of India provided a total of 7 fundamental rights to its citizens; but the fundamental right to property was abolished by the 44th Constitutional Amendment Act in 1978.

Art. 31
Art. 19(1)(f)
(च)

7 - 1 ⇒ (6)

संपत्ति का अधिकार
Right to Property

⇒ इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया।

⇒ वर्तमान में यह एक वैधानिक अधिकार (Legal Right) है जिसे Art. 300(A) में रखा गया है।

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ⇒ S. Court / High Court

Voilation of F.R.

↓ Art. 32 ↓ Art. 226

वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त है । जो अधोलिखित हैं। यथा-
At present, Indian citizens have a total of 6 fundamental rights. These are as follows. As-

1. समानता का अधिकार Right to equality (अनुॅच्छेद 14-18)
2. स्वतन्त्रता का अधिकार Right to freedom (अनुॅच्छेद 19-22))
3. शोषण के विरुद्ध का अधिकार right against exploitation (अनुॅ. 23-24)
4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार right to religious freedom (अनु. 25-28)
5. संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार cultural and educational rights (अनुच्छेद 29-30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार Right to Constitutional Remedies (अनुच्छेद 32)

विधि के समक्ष समता (Equality before Law)

अनुच्छेद-14 के अनुसार "राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

According to Article 14, "The State shall not deny to any person equality before the law and the equal protection of the laws within the territory of India."

→ ब्रिटेन

→ USA

(A), (B), (C)

अपवाद ⇒ राष्ट्रपति
exception ⇒ राज्यपाल
→ MPs, MLA's

अनुच्छेद 15 (1) - केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है।

Prohibits the State from discriminating between citizens on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

→ केवल भारतीय नागरिकों के लिए
only for Indian citizens

(5) Grounds

Art. 15(2) ⇒ सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकते।
Public Place

अनुच्छेद 15 (2) - के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी आधार पर निम्नलिखित में प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबन्ध के अधीन नहीं होगा । यथा-

Article 15 (2) - No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any condition or restriction in regard to entry into or use of the following:

(i) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों, तथा shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment, and

(ii) राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित- कुओं, तालाबों, स्नानाघाट, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थलों आदि। Maintained from state funds or dedicated for public use – wells, ponds, bathing ghats, roads or public gathering places etc.

अनुच्छेद 15 (3) - राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।

Article 15 (3) - Empowers the State to make certain special provisions for women and children based on their special situation.

अनुच्छेद- 15 (4) इसके द्वारा राज्य को निम्न के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध करने की शक्ति प्रदान की गयी है- Article 15 (4) empowers the State to make special provisions for the following-

1. सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, For socially and educationally backward citizens
2. अनुसूचित जाति के लिए, तथा for Scheduled Castes, and
3. अनुसूचित जनजाति के लिए। For Scheduled Tribes.

ध्यातव्य है कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 (4) के तहत् ही किया गया है । It is noteworthy that reservation in educational institutions is provided under Article 15 (4)

अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। Article 15(5) provides for reservation of seats for admission of students in private educational institutions.

अनुच्छेद 15 (6), 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा जोड़ा गया है" । Article 15(6) inserted by the 103rd Constitutional Amendment Act, 2019".

अवसर की समानता (Equality of Opportunity)

अनुच्छेद- 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। Article 16 guarantees equality of opportunity in public employment.

• राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद- 16 (1)] All citizens shall have equal opportunity in respect of employment or appointment to any office under the State. Article- 16 (1)] 1)

• इस विषय में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्‌भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा। [अनुच्छेद-16 (2)]। There shall be no discrimination among citizens on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, origin and residence. [Article 16 (2)].

(अस्पृश्यता का अन्त)

(Abolition of Untouchability)

अनुच्छेद- 17, / Article- 17,

अनुच्छेद- 35 संसद् को अस्पृश्यता के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। Article 35 gives power to the Parliament to make laws regarding untouchability.

उपाधियों का अन्त (Abolition of Titles)

अनुच्छेद- 18

अनुच्छेद-18 (1) के अनुसार राज्य, सेना (Military) तथा विद्या (Academic) सम्बन्धी सम्मान के शिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

Article 18

Article 18(1) provides that the State shall not confer any title or title except military and academic honours.

अनुच्छेद-19 (1) द्वारा प्रदत्त 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का स्थान सर्वप्रमुख है । यथा-
The six fundamental freedoms provided under Article 19(1) are of paramount importance. As-

(क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता Freedom of speech and expression

(ख) शान्तिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता freedom of peaceful and unarmed assembly

(ग) संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता Freedom to form associations or unions

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता Freedom of movement within the territory of India

(ड) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता
Freedom to reside and settle in any part of the territory of India
(छ) कोई वृत्ति, अजीविका, व्यापार या कारोबार करनें की स्वतंत्रता । Freedom to practice any profession, occupation, trade or business.

दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण

(Protection in respect of Conviction)

अनुच्छेद-20 / Article -20

1. कार्योत्तर विधियों से संरक्षण [अनु. 20 (1)]

(Protection From Ex-post Facto Law)

2. दोहरे दण्ड से संरक्षण [अनु. 20 (2)]

(Protection From Double Jeopardy)

3. आत्म अभिशंसन से संरक्षण [अनु. 20 (3)]

(Protection From Self-in-Crimination)

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता

(Protection of Life and Personal Liberty)

- अनुच्छेद - 21 / Article -21
- शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था। Right to education was declared a fundamental right under Article 21.
- 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम-2002 द्वारा अनुच्छेद 21 - क के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया। The 86th Constitutional Amendment Act, 2002 gave the right to education the status of a fundamental right under Article 21A.

- अनुच्छेद 21-क, के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध करेगा । According to Article 21-A, the State shall provide free and compulsory education for all children of the age of 6 to 14 years.

गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

(Protection against arrest and detention)

अनुच्छेद- 22, / Article -22

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के अधिकार Rights of persons arrested

1. गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार । Right to know the reasons for arrest.

2. अपनी रुचि के विधि व्यवसायी (अधिवक्ता) से परामर्श एवं बचाव का अधिकार। Right to consult and defend a legal practitioner (advocate) of one's choice.

3. गिरफ्तारी से 24 घण्टे के अन्दर (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) निकटतम् मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने का अधिकार। Right to be produced before the nearest magistrate within 24 hours of arrest (excluding the time required for travel).

4. मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किये जाने का अधिकार । Right not to be detained in custody for more than 24 hours without the authority of the magistrate.

बलात् श्रम का प्रतिषेध (Prohibition of Forced Labour)

अनुच्छेद 23 (1) / Article 23(1)

(i) दासप्रथा / slavery

(ii) बेगार अथवा बलात्श्रम / forced labour

(iii) मनुष्यों का वस्तुओं की भाँति क्रय-विक्रय । / Buying and selling of human beings like commodities.

(iv) स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार / Immoral trafficking of women and children

(v) बंधुआ मजदूरी आदि। Bonded labour etc

बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

(Prohibition of Employment of Children)

इसके अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिम पूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है।

Under this, employment of children below 14 years of age in factories, mines or any other hazardous work is prohibited.

अन्तःकरण आदि की स्वतंत्रता

(Freedom of Conscience etc)

अनुच्छेद 25 / Article -25

धार्मिक कार्यों के प्रबन्धन की स्वतंत्रता

(Freedom to Manage religious affairs)

अनुच्छेद- 26 / Article- 26

- यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गयी है । This freedom has been given not to individuals but to religious sects.

धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति

(Freedom to Taxes for religious Promotion)

अनुच्छेद-27 / Article - 27

शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता

(Freedom in Educational Institutions)

अनुच्छेद-28 का खण्ड (1) राज्य निधि से पूर्णतः पोषित के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिये जाने का निषेध करता है।

Clause (1) of Article 28 prohibits the imparting of religious education in educational institutions wholly maintained out of State funds.

अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

(Protection of Interests of minorities)

अनुच्छेद-29 (1) / Article – 29(1)

भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी अपनी विशेष भाषा (Language) लिपि (Script) या संस्कृति (Culture) है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। Every citizen of India who has his own distinct language, script or culture shall have the right to preserve it.

शिक्षण संस्थाओं की स्थापना

(Establishment of Educational Institution)

अनुच्छेद 30 (1) के अन्तर्गत शिक्षण संस्थायें स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करनें का अधिकार दिया गया है Article 30(1) gives the right to establish and administer educational institutions.

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

(Right to Constitutional Remedies)

अनुच्छेद 32

डा. भीम राव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा (Heart and Soul) कहा है।

Article 32

Dr. Bhim Rao Ambedkar called it the heart and soul of the Indian Constitution.

पाँच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। यथा—

(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus),

(2) परमादेश (Mandamus),

(3) प्रतिषेध (Prohibition),

(4) उत्प्रेषण (Certiorari) तथा

(5) अधिकार पृच्छा (Quo warranto)